अध्यादेश संख्या 14

शिक्षक कर्मियों के अवकाश नियम

1. अवकाश विषयक सामान्य नियम

(क) कोई भी शिक्षक अधिकार के रूप में छुट्टी का दावा करने का अधिकारी नहीं है। जब उसकी या उसकी सेवाओं की अपेक्षा होगी तब अवकाश की स्वीकृति देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे किसी भी प्रकार की छुट्टी देने से इंकार किया जा सकता है अथवा उसकी स्वीकृत छुट्टी रद्द की जा सकती है।

(ख) यदि किसी शिक्षक को अपनी छुट्टी की समाप्ति से पहले कर्तव्य (ड्यूटी) पर वापस बुलाया जाता है, तो ड्यूटी पर वापसी का यह आदेश सभी मामलों में बाध्यकारी और अनिवार्य माना जाएगा।

(ग) इन नियमों में आये उल्लेखों के अतिरिक्त कर्तव्य (ड्यूटी) पर बिताई समयावधि के मुताबिक ही अवकाश अर्जित किया जाएगा।

(घ) जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाती तब तक कोई भी शिक्षक किसी भी प्रकार की छुट्टी का लाभ लेने का अधिकारी नहीं होगा बशर्ते कि कोई आपात स्थिति न हो या उसके नियंत्रण से बाहर का कोई कारण न हो। इसके अलावा ज्ञातव्य है कि छुट्टी का आवेदन सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रिम रूप से पहुँचना चाहिए ताकि प्राधिकारी को छुट्टी की मंजूरी देने या छुट्टी के आवेदन को नामंजूर करने का पर्याप्त समय मिल सके।

(ङ) सामान्य नियम के मुताबिक अध्ययन अवकाश, विश्राम अवकाश (सब्बाटिकल लीव), असाधारण अवकाश जैसी दीर्घकालीन छुट्टियों का लाभ कोई शिक्षक शैक्षणिक सत्र के आरंभ के साथ ही उठाया जा सकता है। किसी भी शिक्षक को शैक्षणिक सत्र के बीच में, उसकी सातत्यता के बीच में दीर्घकालीन छुट्टी पर जाने को अग्रसर होने की अनुमति नहीं होगी।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाये गये अवकाश नियम जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया जाता है, उन्हें विश्वविद्यालय के शिक्षकों के संदर्भ में पालित किया जायेगा।

3. अवकाश का आरंभ और समापन :

(क) अवकाश सामान्यतः उस दिन से आरंभ होता है जिस दिन से यथार्थ में उसका लाभ उठाया जाता है और जिस दिन शिक्षक अपना कार्यभार पुनः ग्रहण करता है, ठीक उससे पूर्ववर्ती दिवस को अवकाश समाप्त होता है।

(ख) विश्वविद्यालय में होने वाली लंबी छुट्टी को छोड़कर साप्ताहिक अवकाश और अन्य सार्वजनिक अवकाश को पूर्वलग्न और अनुलग्न के रूप में अवकाश के साथ संलग्न किया जा सकता है।

(ग) सामान्यतः शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अकादमिक सत्र के अंतिम दिन और छुट्टी के बाद शुरु होने वाले नये अकादमिक सत्र के पहले दिन उपस्थिति रहे। तथापि अपवाद रूप में या किन्हीं विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र कुलपति द्वारा अनुमति दी जा सकती है कि आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश को दो सत्रों के बीच पड़ने वाली लंबी छुट्टी के आरंभ या अंत के साथ नत्थी किया जा सकता है।

4. अवकाश समाप्ति उपरांत कार्यभार ग्रहण :

(क) अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की इजाजत के अतिरिक्त किसी भी अन्य मामले में जो अवकाश स्वीकृत हुआ है, उसकी अवधि पूर्ण होने से पहले अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता।

5. अवकाशों का संयोजन :

(क) इन नियमों में अगर अन्यथा उल्लेख न आया हो तो इन नियमों के तहत किसी भी प्रकार के अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ या उसके सातत्य में प्रदान किया जा सकता है।

6. सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र की तिथियों से परे अवकाश की स्वीकृति :

(क) शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तिथि से परे जाकर कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। आगे ज्ञातव्य है कि सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक के अवकाश खाते में जमा अर्जित अवकाश के तद्नुरूप उसे अवकाश वेतन प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों की अनुपालना हो :

I. अर्जित अवकाश के अवकाश वेतन की एवज में मिलने वाले नगद भुगतान की सीमा 300 दिन होगी।

II. जहाँ एक शिक्षक उसके सेवा विषयक निबंधनों और शर्तों के तहत सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित सामान्य आयु पाकर सेवानिवृत्त होता है, तो अवकाश देने वाला सक्षम प्राधिकारी स्वतः स्वप्रेरणा से उस शिक्षक के अवकाश खाते में सेवानिवृत्ति के दिन तक जमा अर्जित अवकाश के समकक्ष नगद भुगतान का आदेश जारी करेगा किंतु इसप्रकार का अवकाश वेतन भुगतान अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए ही किया जायेगा।

III. यह नगद भुगतान अर्जित अवकाश पर सेवानिवृत्ति की तिथि के दिन तक लागू अवकाश वेतन और मँहगाई भत्ते के समकक्ष होगा। कोई नगरीय प्रतिपूर्ति भत्ता और/या महँगाई भत्ता देय नहीं होगा।

IV. प्रयोग में न लाये गये अर्जित अवकाश के लिए प्रदत्त नगद भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन तक लागू वेतन और भत्तों की दरों के अनुसार परिगणित किया जायेगा किंतु इसप्रकार का नगद भुगतान अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए ही किया जायेगा।

V. सेवानिवृत्ति उपरांत पुनः नियुक्त किये गये शिक्षक को उसकी पुनःबहाली की समाप्ति पर अवकाश देने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतः स्वप्रेरणा से उसकी पुनःबहाली की समाप्ति की तिथि तक उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के समकक्ष नगद भुगतान का आदेश जारी किया जायेगा। किंतु इसप्रकार का अवकाश वेतन भुगतान अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए ही किया जायेगा। इन 300 दिनों में वह अवधि भी शामिल होगी जिसके लिए सेवानिवृत्ति की तिथि के दिन शिक्षक नगद भुगतान का अधिकारी था।

VI. एक शिक्षक अपने खाते में जमा अर्जित अवकाश के एक हिस्से का इस्तेमाल सेवानिवृत्ति की तैयारी करने के लिए अवकाश के रूप में कर सकता है। इस मामले में भी वह सेवानिवृत्ति के दिन तक अपने अवकाश खाते में शेष रहे अर्जित अवकाश के लाभ विषयक इस नियम का हकदार होगा बशर्ते कि इस नियम के अनुबंधित निबंधनों और शर्तों की पालना की जाये।

VII. जहाँ एक शिक्षक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित सामान्य आयु पाकर सेवानिवृत्त होता है, तो अवकाश देने वाला सक्षम प्राधिकारी अर्जित अवकाश के समतुल्य नगद भुगतान पर उस स्थिति में आंशिक या पूर्ण रोक लगा सकता है जब कि वह शिक्षक निलंबन पर हो अथवा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्रवाही लंबित हो और इसके चलते सक्षम प्राधिकारी का यह मानना हो कि कार्रवाही की समाप्ति पर दंड स्वरूप शिक्षक से कुछ राशि प्रतिलभ्य हो सकती है। कार्रवाही की समाप्ति पर अगर कुछ विश्वविद्यालय को देय निकलता है तो उसके समायोजन उपरांत वह शिक्षक उस राशि को पाने का हकदार होगा जो रोक दी गई थी।

7. एक प्रकार के अवकाश का दूसरे प्रकार के अवकाश में रूपांतरण :

(क) शिक्षक के अनुरोध पर अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश को अनुदर्शी रूप से अन्य प्रकार के अवकाश में रूपांतरित कर सकता है जो जिस समय अवकाश स्वीकृत किया गया, उस समय शिक्षक को देय हो और उसके लिए लागू हो। किंतु शिक्षक यह दावा नहीं कर सकता कि इसप्रकार का रूपांतरण उसका अधिकार है।

(ख) यदि एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश में रूपांतरित किया जाता है तो शर्त यह है कि अंततः जो अवकाश शिक्षक के लिए स्वीकृत होता है, उसके आधार पर वेतन आदि का समायोजन किया जाये। इसका मतलब हुआ कि जो भी अतिरिक्त वेतन शिक्षक को दिया गया है, उसे वसूला जायेगा और जो भी अतिरिक्त उसे देय है, वह उसे दिया जायेगा।

(ग) चिकित्सकीय आधार पर दिये गये असाधारण अवकाश को अनुदर्शी रूप से नियम संख्या 9 के प्रावधानों के तहत अन–अर्जित अवकाश में रूपांतरित किया जा सकता है।

8. चिकित्सकीय आधार पर लिये गये अवकाश उपरांत पुनः कार्यभार ग्रहण करना :

(क) चिकित्सकीय प्रमाणपत्र के आधार पर जिस शिक्षक को अवकाश प्रदान किया गया है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि पुनः कार्यभार ग्रहण से पूर्व वह तंदुरुस्ती विषयक एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे जो निर्धारित व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया हो।

(ख) जब चिकित्सकीय आधार पर कोई शिक्षक तीन दिन से कम अवधि के लिए एक बार में अवकाश पर रहा हो तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से उसे चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छूट दे सकता है। तथापि ऐसा अवकाश फिर चिकित्सा प्रमाणपत्र आधारित अवकाश के रूप में परिगणित नहीं किया जायेगा बल्कि इसे आवेदक शिक्षक के अवकाश खाते में दर्ज़ अन्य प्रकार के अवकाशों में से घटा दिया जायेगा।

9. अवकाश के दौरान वेतन वृद्धि :

(क) यदि वेतन वृद्धि की तिथि आकस्मिक अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश से इतर किसी अन्य प्रकार के अवकाश के दरमियान पड़ती है तो शिक्षक के पुनः अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतन वृद्धि प्रभावी होगी और इस संदर्भ में शिक्षक की वेतन वृद्धि की सामान्य तिथि को लेकर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी भी स्थायी शिक्षक को तीन साल से ज्यादा सतत् समय के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जायेगा।

(ग) जब एक शिक्षक विदेश सेवा में होने या निलंबित होने की स्थितियों को छोड़कर तीन साल की सतत् अवधि वाले अवकाश का लाभ उठाने के उपरांत कार्यभार पुनः ग्रहण नहीं करता अथवा कोई कर्मचारी अवकाश समाप्ति उपरांत भी अपने कार्य पर अनुपस्थिति रहता है और जिस अवधि के लिए उसे अवकाश दिया गया है, उस अवधि सहित किसी भी अन्य अवधि को मिलाकर उसकी अनुपस्थिति अगर तीन साल की सीमा पार कर जाती है तो उसकी लियन समाप्त मान ली जायेगी और उसकी विश्वविद्यालयी सेवा समाप्त हो जायेगी। शर्त यही है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र कार्य परिषद् ने इस मामले में कुछ अतिरिक्त निर्णय न लिया हो।

10. अवकाश समाप्ति उपरांत भी अनुपस्थित रहना :

(क) अगर सक्षम प्राधिकारी स्वीकृत अवकाश में इजाफा करने की अनुमति नहीं देता तो स्वीकृत अवकाश की समाप्ति पर भी अनुपस्थित रहने वाला विश्वविद्यालय कर्मचारी इसप्रकार की अनुपस्थिति वाली अवधि के लिए अवकाश वेतन का हकदार नहीं होगा। और यह अवधि उसके अवकाश खाते से अर्द्ध वेतन अवकाश के रूप में काट ली जायेगी एवं देय अर्द्ध वेतन अवकाश से ज्यादा की अनुपस्थिति असाधारण अवकाश में परिगणित की जायेगी।

(ख) आकस्मिक अवकाश और प्रतिपूरक अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाशों के लिए हर शिक्षक के अवकाश खाते का रखरखाव कुलसचिव के कार्यालय में किया जायेगा।

(ग) शिक्षक को स्वीकृत अर्जित अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश के आदेश यहाँ के उपरांत उसके खाते में जमा अवकाश के रूप में सूच्य होंगे।

11. अवकाश वेतन :

(क) इन नियमों में उल्लेखित अपवादों के अतिरिक्त एक शिक्षक अपने अर्जित अवकाश के दौरान उतने अवकाश वेतन का अधिकारी है जितना वेतन उसने अवकाश पर जाने से तुरंत पहले प्राप्त किया था।

(ख) अर्द्ध वेतन अवकाश या अन–अर्जित अवकाश के दौरान एक शिक्षक उप नियम (1) में उल्लेखित राशि की अर्द्ध राशि अवकाश वेतन के रूप में पाने का हकदार है।

(ग) परिवर्तित अवकाश के दौरान एक शिक्षक उप नियम (1) में उल्लेखित राशि के समकक्ष राशि अवकाश वेतन के रूप में पाने का हकदार है।

(घ) असाधारण अवकाश के दौरान एक शिक्षक कोई अवकाश वेतन पाने का हकदार नहीं है।

(ङ) अगर एक शिक्षक को सेवानिवृत्ति या सेवा त्याग की तिथि (जैसा भी किसी मामले में लागू होता है) से परे जाकर अवकाश दिया जाता है, तो वह इस अवधि के दौरान नियमों के तहत इसप्रकार के अवकाश की संपूर्ण अवधि के लिए एकमुश्त भुगतान का हकदार होगा। किंतु यह भुगतान पेंशन और पेंशन सदृश्य अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभों को घटाकर किया जायेगा।

(च) जहाँ इसप्रकार का शिक्षक ऐसे अवकाश के दौरान पुनः नियुक्त कर दिया जाता है तो उसका अवकाश वेतन अर्द्ध वेतन की स्थिति में लागू अवकाश वेतन के परिमाण तक प्रतिबंधित कर दिया जायेगा एवं इस वेतन में से पेंशन और पेंशन सदृश्य अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभों को घटा दिया जायेगा। इस शिक्षक के समक्ष विकल्प होगा कि वह अवकाश का लाभ चाहता है या पूर्ण पेंशन लाभ का आकांक्षी है।

12. अग्रिम अवकाश वेतन :

(क) अग्रिम अवकाश वेतन उसी शिक्षक को दिया जाता है जो कम से कम तीस दिनों के अवकाश पर जा रहा हो। इस अग्रिम अवकाश वेतन में जहाँ भत्तें शामिल होंगे वहीं आयकर, भविष्य निधि, आवासीय किराया और अग्रिम की वसूली विषयक कटौतियाँ भी शामिल होंगी।

(ख) यदि किसी मामले में कोई शिक्षक सेवारत रहते हुए गुजर जाता है तो अवकाश वेतन के समकक्ष नगद का भुगतान जो उस शिक्षक के संदर्भ में देय और लागू होता है, उसे शिक्षक के देहांत तिथि के बाद वाली तिथि को उसके परिवार को कर दिया जायेगा बशर्ते कि अधिकतम भुगतान देय अर्जित अवकाश 300 दिनों की सीमा पार न करे। ज्ञातव्य ही है कि अगर वह शिक्षक अर्जित अवकाश पर गया होता तो अवकाश वेतन प्राप्त करता। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि अर्जित अवकाश के समतुल्य भुगतान से मृत्यु सह सेवानिवृत्ति वाली पेंशन और ग्रेच्युटी विषयक कटौतियाँ नहीं की जायेंगी।

(ग) संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 180 दिनों के अर्द्ध वेतन अवकाश को परिवर्तित अवकाश में बदलने का अधिकार रहेगा जहाँ ऐसे अवकाश का इस्तेमाल स्वीकृत अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु किया जाता है। अवकाश की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि ऐसा पाठ्यक्रम सार्वजनिक हित का है।

13. परिवीक्षा पर नियुक्त अध्यापक :

(क) स्थायी रिक्ति के स्थान पर परिवीक्षा पर नियुक्त एक शिक्षक जो परिवीक्षा के अनुबंधों से बंधा होता है, वह परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन तमाम अवकाशों को प्राप्त करने का हकदार होता है जिन्हें वह उस पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी के रूप में पाता।

(ख) अगर किसी भी कारण से परिवीक्षार्थी की सेवाएँ समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है तो जो भी अवकाश उसे स्वीकृत किया गया है, वह अवकाश उस पूर्ववर्ती तिथि से परे नहीं जाना चाहिए जिस तिथि को परिवीक्षा अवधि समाप्त होती है या जिस तिथि को कार्य परिषद् के आदेशानुसार उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाती हैं।

(ग) जो पद स्थायी रूप से रिक्त नहीं है, उस पर परिवीक्षार्थी के रूप में किसी शिक्षक की नियुक्ति होती है तो जब तक उसके स्थायीत्व की संस्तुति नहीं होती तब तक अवकाश प्रदान करने के विषय में उस शिक्षक को अस्थायी माना जायेगा।

(घ) यदि इस विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से सेवारत कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो वह अपनी परिवीक्षा अवधि में अपने स्थायी पद के लिए लागू अवकाश के नियमों के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा।

14. अस्थायी शिक्षक :

(क) इस विश्वविद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त शिक्षक अवकाश और वार्षिक वेतन वृद्धि के उन तमाम लाभों का हकदार होगा जिन्हें स्थायी शिक्षक प्राप्त करते हैं।

अनुलग्नक – I

कुलपति कार्यालय

महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार, मोतिहारी, जिला : पूर्वी चंपारण, बिहार

अध्ययन अवकाश हेतु इकरारनामे का प्रपत्र

महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार, मोतिहारी, जिला : पूर्वी चंपारण, बिहार के कर्मचारी द्वारा इकरारनामे का एक प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है। यह इकरारनामा 10/– रुपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टांप पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना है। (स्टांप अधिनियम के मुताबिक अगर इकरारनामे का मूल्य 1000/– रुपये है तो स्टांप 10/– रुपये मात्र का लगेगा। किंतु अगर यह ज्यादा है तो 1000/– रुपये से ज्यादा के प्रति 500/– रुपयों पर 5/– रुपये का स्टांप लगेगा।)

यह इकरारनामा सन् 20..... की दिनांक ..... को श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री ..... (यहाँ से आगे जिन्हें कर्मचारी कहा जायेगा) द्वारा महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो संसद के अधिनियम के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है (यहाँ से आगे जिसे विश्वविद्यालय कहा जायेगा) , के पक्ष में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ विश्वविद्यालय के इस कर्मचारी के आवेदन पर इस कर्मचारी को दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... की अवधि के लिए ..... उद्देश्य से, दिनांक ..... को आयोजित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् में पारित प्रस्ताव सं. ..... के तहत अध्ययन अवकाश मंजूर करता है। यहाँ यह घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अधिनियम ..... के तहत अनुबंधित निबंधनों और शर्तों के तहत कर्मचारी को विश्वविद्यालय द्वारा उपर्युक्त अवकाश स्वीकृत करता है। इसके तहत एतद् द्वारा कर्मचारी निम्नलिखित वचन देता है/देती है : –

1. कि अपने लिए अध्ययन अवकाश का लाभ लेने वाले इस कर्मचारी द्वारा यह प्रतिज्ञा की जाती है कि वह अध्ययन अवकाश की समाप्ति उपरांत कम से कम सतत् तीन साल विश्वविद्यालय की सेवा करेगा। इस तीन साल की अवधि का परिगणन उसके द्वारा अध्ययन अवकाश उपरांत अपना कार्यभार पुनःग्रहण किये जाने की तिथि से किया जायेगा।

2. कि इस इकरारनामे के तहत कर्मचारी द्वारा स्वयं को देय शर्तों को पूरा करने की प्रतिज्ञा के साथ आबद्ध किया जाता है। इस बाबत वित्त अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए अध्ययन अवकाश की शर्तों की पालना न किये जाने की सूरत में जितनी राशि का पुनर्भुगतान शिक्षक की ओर से विश्वविद्यालय को किया जाना है, उस राशि की एवज में शिक्षक द्वारा स्थायी संपत्ति की जमानत दी जाती है या बीमा कंपनी से निष्ठा का इकरारनामा किया जाता है या अनुसूचित बैंक से गारंटी दिलवाई जाती है या दो स्थायी अध्यापकों से जमानत दिलाई जाती है।

3. कि अगर यह कर्मचारी जिसे पूर्ण, अर्द्ध या शून्य वेतन के साथ अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है, वह अध्ययन अवकाश अवधि में या अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में अपना अध्ययन पूर्ण करने में असफल रहता है या अपनी अध्ययन अवकाश अवधि के समाप्त हो जाने पर भी वह विश्वविद्यालय में अपने कार्यभार पर वापिस लौटने में असफल रहता है या कार्यभार पुनः ग्रहण करने के उपरांत निर्धारित अवधि तक सेवारत रहने में असफल होता है (जिसके लिए वह धारा 1 के तहत प्रतिज्ञाबद्ध है) या वह उपरोक्त अवधि के बीच विश्वविद्यालय द्वारा सेवा से बरखास्त कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है तो यह कर्मचारी स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों को, अपने निर्वाहकों को, अपने प्रतिनिधियों को इसके लिए आबद्ध करता है या सौंपता है कि विश्वविद्यालय को ब्याज सहित उतनी राशि का पुनः भुगतान किया जाये जितनी राशि उसके अध्ययन पाठ्यक्रम या शोध के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अवकाश वेतन और भत्तों एवं अन्य खर्चों के रूप में उस पर व्यय की गई है या उसे प्रदान की गई है। अथवा यह कि इस संदर्भ में उस पर व्यय की गई कुल राशि के उतने अनुपात का पुनः भुगतान करने को वह वचनबद्ध है जितना विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् अपने विवेक से निर्धारित करती है।

4. कि विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारी के अध्ययन अवकाश वृद्धि के आवेदन को ठुकराये जाने की स्थिति में अगर कर्मचारी द्वारा मूलतः उसको प्रदत्त अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार पुनः ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि इस इकरारनामे के तहत विश्वविद्यालय को देय राशि की वसूली के संदर्भ में कर्मचारी विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार अध्ययन अवकाश की समाप्ति उपरांत पुनः ग्रहण करने में असफल रहा है।

गवाहों की मौजूदगी में कर्मचारी पूर्वोक्त तिथि को इस इकरारनामे पर अपना हस्ताक्षर करता है।

————————————

कर्मचारी

नाम : ————————————

पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : ————————————

निवासी ————————————

महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के अधिकारी की उपस्थिति में :

————————————

कुलपति, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार

(सील)

गवाह :

1. नाम : ————————————

पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : ————————————

निवासी ————————————

2. नाम : ————————————

पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : ————————————

निवासी ————————————

अनुलग्नक – II

जमानती इकरारनामा प्रपत्र

उपस्थित समस्त व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि मैं ..... पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : .... का/की स्थायी निवासी हूँ और वर्तमान में ..... का/की निवासी हूँ। मैं ..... के वेतनमान पर ..... के रूप में ..... कार्यरत हूँ। मैं (यहाँ के बाद 'मैं' को जमानती कहा जायेगा) केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधित) अधिनियम 2014 के तहत स्थापित महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को एक निर्धारित राशि अदा करने के प्रति वचनबद्ध होता हूँ जो इसके प्रतिनिधि कुलसचिव द्वारा परिगणित की गई है। इस राशि की गणना महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले व्ययों, वैधानिक खर्चों सहित यथा उल्लेखित ब्याज को ध्यान में रखते हुए की गई है। मैं यहाँ एतद् द्वारा स्वेच्छा से और ईमानदारी से स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों को, अपने निर्वाहकों को, अपने प्रतिनिधियों को इस इकरारनामे की शर्तों से आबद्ध करता हूँ।

यहाँ घोषित किया जाता है कि महात्माा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार ..... पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : .... जो ..... का/की स्थायी निवासी है और जो ..... के रूप में कार्यरत हैं (यहाँ के बाद इनको विश्वविद्यालय का शिक्षक कहा जायेगा), को उनके अपने अनुरोध पर अध्ययन अवकाश देने पर अपनी सहमति देता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम ..... की अध्यादेश संख्या..... के तहत विश्वविद्यालय इस अध्ययन अवकाश पर अपनी मंजूरी देता है। इसके संदर्भ में दिनांक ..... को .....द्वारा जारी कार्यालयी आदेश संख्या..... देखिए।

यहाँ घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अध्यापक ने दिनांक .....को एक इकरारनामे के साथ यह वचन दिया है कि उसके द्वारा विश्वविद्यालय की अध्यादेश संख्या.....में समाविष्ट शर्तों की अनुपालना की जायेगी।

यहाँ घोषित किया जाता है कि महात्मा् गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार द्वारा शिक्षक को अध्ययन अवकाश की मंजूरी पर अपनी सहमति देने के मद्देनज़र जमानती एतद् द्वारा इस इकरारनामे की शर्तों पर अपनी सम्मति देता है जो नीचे दी गई हैं :

आगे ज्ञातव्य है कि जमानती इस इकरारनामे की शर्तों से मुक्त हो जायेगा अगर महात्माा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का यह शिक्षक/कर्मचारी महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के कुलसचिव द्वारा परिगणित समस्त राशि का भुगतान कर देता है, जिस राशि में समस्त प्रकार के व्ययों, लिखावट के खर्च समेत अन्य वैधानिक खर्चों आदि का समावेश है। यह परिगणन कुलसचिव द्वारा नियुक्त उसका कोई प्रतिनिधि अधिकारी भी कर सकता है। इस भुगतान योग्य देय राशि का सवाल तब पैदा होगा जबकि विश्वविद्यालय के उपर्युक्त शिक्षक/कर्मचारी से उसके द्वारा दिनांक ..... को प्रस्तुत इकरारनामे के निबंधनों और शर्तों की पालना में कोई चूक हो जाती है या उसके द्वारा अध्यादेश संख्या ..... की पालना नहीं की जाती।

किंतु ऐसा घटित न होने पर भी अगर महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का यह शिक्षक/कर्मचारी गुजर जाता है या दिवालिया हो जाता है या किसी समय महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार की सेवा से मुक्त कर दिया जाता है अथवा किसी भी कारण से जो आंशिक या पूर्ण देय उस पर डाला जाता है, उसके अदेय रह जाने पर ठीक वही देय जमानती की तरफ से महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को तत्क्षण एक किस्त में इस इकरारनामे के मुताबिक देय होगा। इस इकरारनामे में जमानती ने इस बाबत जो जिम्मेदारी ली है, वह इससे मुक्त नहीं होगा। यहाँ इससे कोई अंतर नहीं आयेगा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक/कर्मचारी के अध्ययन अवकाश को विस्तारित किया जाता है और इसकी सूचना जमानती को होती है या नहीं।

सन् 20..... की दिनांक ..... को जमानती द्वारा हस्ताक्षरित।

(.....)

जमानती के हस्ताक्षर

पद और मुहर

इन व्यक्तियों की उपस्थिति में

1. .....

2. .....

(गवाहों के नाम और पद)

अनुलग्नक – III

जमानती इकरारनामा प्रपत्र

उपस्थित समस्त व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि मैं ..... पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : .....स्थायी निवासी मकान सं. ....., गली का नाम और संख्या. .....का/की स्थायी निवासी हूँ। मैं ....के रूप में रोजगाररत/स्वरोजगाररत हूँ। आयकर प्राधिकारण में मेरी पैन संख्या ..... है।

मैं (यहाँ के बाद 'मैं' को जमानती कहा जायेगा) केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधित) अधिनियम 2014 के तहत स्थापित महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को एक निर्धारित राशि अदा करने के प्रति वचनबद्ध होता हूँ जो इसके प्रतिनिधि कुलसचिव द्वारा परिगणित की गई है। इस राशि की गणना महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले व्ययों, वैधानिक खर्चों सहित यथा उल्लेखित ब्याज को ध्यान में रखते हुए की गई है। मैं यहाँ एतद् द्वारा स्वेच्छा से और ईमानदारी से स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों को, अपने निर्वाहकों को, अपने प्रतिनिधियों को सन् 200..... की दिनांक .... को इस इकरारनामे की शर्तों से आबद्ध करता/करती हूँ।

यहाँ घोषित किया जाता है कि महात्मा् गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार ..... पुत्र श्री/पुत्री श्री/पत्नी श्री : .... का/की स्थायी निवासी जो ..... के रूप में कार्यरत हैं (यहाँ के बाद इनको विश्वविद्यालय का शिक्षक कहा जायेगा), को उनके अपने अनुरोध पर अध्ययन अवकाश देने पर अपनी सहमति देता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम ..... की अध्यादेश संख्या 13 के तहत विश्वविद्यालय अध्ययन अवकाश पर अपनी मंजूरी देता है। इसके संदर्भ में दिनांक ..... को .....द्वारा जारी कार्यालयी आदेश संख्या ..... देखिए।

और यहाँ घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के उपरोक्त शिक्षक ने दिनांक .....को एक इकरारनामे के साथ यह वचन दिया है कि उसके द्वारा विश्वविद्यालय की अध्यादेश संख्या 13 में समाविष्ट शर्तों की अनुपालना की जायेगी।

और यहाँ घोषित किया जाता है कि मैं निम्नलिखित अचल संपत्ति/संपत्तियों का वास्तविक और वैध वारिस हूँ जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

क्र.स	संपत्ति का विवरण	अवस्थिति	क्षेत्रफल	अनुमानित लागत
1.				
2.				
3.				

महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के वित्त अधिकारी के अवलोकन और संतुष्टी हेतु उपरोक्त संपत्तियों के संबद्ध दस्तावेजों की वास्तविक प्रतियाँ यहाँ नत्थी की जाती हैं।

और यहाँ घोषित किया जाता है कि महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार द्वारा शिक्षक को अध्ययन अवकाश की मंजूरी पर अपनी सहमति देने के मद्देनज़र जमानती एतद् द्वारा इस इकरारनामे की शर्तों पर अपनी सम्मति देता है जो नीचे दी गई हैं :

I. जमानती इस इकरारनामे की शर्तों से मुक्त हो जायेगा अगर महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का यह शिक्षक /कर्मचारी महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के कुलसचिव द्वारा परिगणित समस्त राशि का भुगतान कर देता है जिस राशि में समस्त प्रकार के व्ययों, लिखावट के खर्च समेत अन्य वैधानिक खर्चों आदि का समावेश है। यह परिगणन कुलसचिव द्वारा नियुक्त उसका कोई प्रतिनिधि अधिकारी भी कर सकता है। इस भुगतान योग्य देय राशि का सवाल तब पैदा होगा जबकि विश्वविद्यालय के उपर्युक्त शिक्षक/कर्मचारी से उसके द्वारा दिनांक ..... को प्रस्तुत इकरारनामे के निबंधनों और शर्तों की पालना में कोई चूक हो जाती है या उसके द्वारा अध्यादेश संख्या ..... की पालना नहीं की जाती।

II. किंतु ऐसा घटित न होने पर भी अगर महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का यह शिक्षक/कर्मचारी गुजर जाता है या दिवालिया हो जाता है या किसी समय महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार की सेवा से मुक्त कर दिया जाता है अथवा किसी भी कारण से जो आंशिक या पूर्ण देय उस पर डाला जाता है, उसके अदेय रह जाने पर ठीक वही देय जमानती की तरफ से महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को तत्क्षण एक ही किस्त में इस इकरारनामे के मुताबिक देय होगा।

III. इस इकरारनामें में जमानती ने इस बाबत जो जिम्मेदारी ली है, वह इससे मुक्त नहीं होगा। यहाँ इससे कोई अंतर नहीं आयेगा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक/कर्मचारी के अध्ययन अवकाश को विस्तारित किया जाता है और इसकी सूचना जमानती को होती है या नहीं।

सन् 20.....की दिनांक ..... को जमानती द्वारा हस्ताक्षरित।

(.....)
जमानती के हस्ताक्षर
पद और मुहर

इन व्यक्तियों की उपस्थिति में

1. .....
2. .....

(गवाहों के नाम और पद)

(जमानती शपथ पत्र)

शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र श्री .....निवासी ....., एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञा करता हूँ और घोषणा करता/करती हूँ :

कि मैं निम्नलिखित अचल संपत्ति/संपत्तियों का वास्तविक और वैध वारिस हूँ।

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	अवस्थिति	क्षेत्रफल	अनुमानित लागत
1.				
2.				
3.				
4.				

मैं शपथ लेता हूँ कि उपर्युक्त संपत्ति अभी तक किसी को भी न बेची गयी है, न हस्तांतरित की गयी है और न सौंपी गयी है और बाज़ार में इसकी अच्छी साख है।

मैं ..... की तिथि वाले इस शपथ पत्र के द्वारा स्वयं को महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के साथ जमानती के रूप में आबद्ध करता हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक उपर्युक्त विश्वविद्यालय के प्रति मैं जमानत से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता तब तक इस संपत्ति या उसके किसी अंश को किसी भी रूप में न हस्तांतरित करूँगा, न किसी को सौंपूंगा।

(अभिसाक्षी)

सत्यापन :

दिनांक ..... को मोतिहारी में यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र की सामग्री यथार्थ और सच्ची है, इसका कोई भी हिस्सा असत्य नहीं है और यहाँ कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

(अभिसाक्षी)

ORDINANCE NO: 14

LEAVE RULES FOR THE TEACHING STAFF

1. **General Rules Relating to Leave:**

a) No teacher can claim leave as a matter of right and when the exigencies or service so demand, leave of any description may be refused or revoked by the leave sanctioning authority.

b) In case a teacher is recalled to duty before the expiry of his leave, such recall to duty shall be treated as binding and compulsory in all cases.

c) Except as otherwise provided in these rules, leave shall be earned by period spent on duty only.

d) No teacher shall avail leave of any kind, except in case of emergency or for reasons beyond his/her control, unless the leave has been sanctioned by the competent authority. Provided further that application for leave must reach the competent authority in advance giving sufficient time to grant or deny the leave.

e) As a general rule, such long leave as Study Leave, Sabbatical Leave, Extra Ordinary Leave can be availed from the commencement of the academic session and no teacher would be permitted to proceed on long leave while the academic session is in progress and continuing.

2. **The Leave Rules, as laid down by the University Grants Commission, and as amended from time to time, will be followed for the University Teachers.**

3. **Commencement and Termination of Leave:**

a) Leave ordinarily begins from the date on which leave as such is actually availed of and ends on the day preceding on which duty is resumed.

b) Weekly holidays or other public holidays (except vacations) may be prefixed as well as suffixed to leave.

c) Teachers are normally expected to be present on the last day of the academic session and on the opening day of the session after a vacation. However, in exceptional or special circumstances, combination of vacations at one end might be allowed by the Vice-Chancellor to any kind of leave except casual leave.

4. **Return to Duty on Expiry of Leave:**

a) Except with the permission of the authority which granted the leave, no person on leave may return to duty before the expiry of the period of leave granted to him.

5. **Combination of Leave:**

a) Except as otherwise provided in these rules, any kind of leave under these rules may be granted in combination with or in continuation of any other kind of leave.

6. **Grant of Leave Beyond the Date of Retirement and on Resignation:**

a) No leave shall be granted beyond the date on which a teacher must retire, provided that a teacher may be paid each equivalent of leave salary in respect of the period of earned leave at his credit at the time of retirement on superannuating subject to the following conditions:

i) The payment of cash equivalent of leave salary for earned leave shall be limited to 300 days.

ii) In respect of a teacher who retires on attaining the normal age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service, the authority competent to grant leave shall suo-motu issue an order granting cash equivalent of leave salary for earned leave, if any, at the credit of the teacher on the date of his retirement subject to a maximum of 300 days.

iii) The cash payment will be equal to leave salary as admissible for earned leave and dearness allowance admissible on that leave salary at the rates in force on the date of retirement. No city compensatory allowance and/or rent allowance shall be payable.

iv) The cash payment for unutilized earned leave shall equivalent to the pay admissible on the date of superannuation plus dearness allowance for the number of unutilized earned leave at the date of superannuation subject to maximum of 300 days.

v) A teacher who is re-employed after retirement may, on termination of his re- employment, be granted suo-moto by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of termination of re-employment; subject to a maximum of 300 days, including the period for which encashment was allowed at the time of retirement.

vi) A teacher can also avail of, as leave preparatory to retirement, a part of earned leave at his credit. In that case, he will be allowed benefits of this rule for the earned leave that remains at credit on the date of retirement in accordance with the terms and conditions stipulated in this rule.

vii) A teacher already on leave preparatory to retirement who has been allowed to return to duty shall also be entitled to benefit under this rule on the date of retirement.

viii) The authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of earned leave in the case of a teacher who retires from service on attaining the age of superannuation while under suspension or while disciplinary or criminal proceedings are pending against him, if in the view of such authority there is a possibility of some money becoming recoverable from him on conclusion of the proceedings against him. On conclusion of the proceedings, he will become eligible to the amount so withheld after adjustment of University's dues, if any.

7. **Conversion of one kind of Leave into another kind:**

a) At the request of the teacher, the sanctioning authority may convert any kind of leave retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible to him at the time the leave was granted, but the teacher cannot claim such conversion as a matter of right.

b) The conversion of one kind of leave into another shall be subject to adjustment of leave salary on the basis of leave finally granted to the teacher, that is to say, any amount paid to him in excess shall be recovered or any arrears due to him shall be paid.

c) Extra Ordinary Leave granted on medical certificate or otherwise may be converted retrospectively into leave not due subject to the provisions of Rule 9 (Leave not due).

8. **Rejoining of Duty on return from Leave on Medical Grounds:**

a) A teacher who has been granted leave on medical certificate will be required to produce a medical certificate of fitness before resuming duties in such manner and from such persons as may be prescribed.

b) The authority competent to grant leave may in its discretion, waive the production of a medical certificate in case of an application for leave for a period not exceeding 3 days at a time on medical ground. Such leave shall not however, be treated as a leave on medical certificate and shall be debited against leave other than leave on medical grounds.

9. **Increment during Leave:**

a) If the increment falls during leave other than casual leave or special causal leave, the effect of increase of pay will be given from the date the employee resumes duty without prejudice to the normal date of his increment.

b) No permanent employee shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding three years.

c) When an employee does not resume duty after availing leave for continuous period of three years, or whether an employee after the expiry of his leave remains absent from duty, otherwise than on foreign service or on account of suspension, for any period which together with the period of leave granted to him exceeds three years his lien shall, unless the Executive Council in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, be deemed to have terminated and he shall cease to be in the University service.

10. **Absence after Expiry of Leave:**

a) Unless the authority competent to grant leave extends the leave, a University employee who remains absent after the end of leave is entitled to no leave salary for the period of such absence and period shall be debited against his leave account as though it were half pay leave, to the extent such leave is due, the period in excess of such leave due being Treated as extra-ordinary leave.

b) The leave account except casual and compensatory leave shall be maintained for each teacher in the Office of the Registrar.

c) The order sanctioning earned leave half pay leave to a teacher shall thereafter indicate the balance of such leave at his credit.

11. **Leave Salary:**

a) Except as provided in these rules, a teacher on earned leave is entitled to leave salary equivalent to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

b) Teacher on half pay leave or leave not due is entitled to leave salary' equal to half the amount specified in sub-rule(l).

c) A teacher on commuted leave is entitled to leave salary equal to the amount admissible under sub-rule(l).

d) A teacher on extra ordinary leave is not entitled to any leave salary.

e) A teacher who is granted leave beyond the date of retirement or quitting of service, as the case may be, shall be entitled during such leave, to leave salary as admissible under the rules in lump sum for the entire period of such leave as one time settlement, reduced by the amount of pension and pension equivalent of other retirement benefits.

f) Where such teacher is re-employed during such leave, the leave salary shall be restricted to the amount of leave admissible while on half pay leave and further reduced by the amount of pension and pension equivalent of other retirement benefits. Provided that it shall be open to the teacher not to avail himself of the leave but to avail of full pension

12. **Advance of Leave Salary:**

a) The advance in lieu of leave salary admissible to a teacher proceeding on leave of not less than thirty days shall include allowances as well subject to deduction on account of income tax, provident fund, house rent recovery of advance etc.

b) In case a teacher who dies in harness, the cash equivalent of the leave salary that the deceased employee would have got, had he gone on earned leave, but for the death, due and admissible, on the date immediately following the date of death, subject to a maximum of leave salary for 300 days, shall be paid to his family.

Further, such cash equivalent shall not be subject to reduction on account of pension equivalent of death-cum-retirement, gratuity.

c) Half Pay Leave up to a maximum of 180 days shall be allowed to be commuted during the entire service where such leave is utilized for an approved course of study i.e. a course which is certified to be in the public interest by the leave sanctioning authority.

13. **Teacher appointed on Probation:**

a) A teacher, appointed as a probationer against a substantive vacancy and with definite terms of probation, shall during the period of probation be granted leave which would be admissible to him if he held his post substantively otherwise than on probation.

b) If for any reason it is proposed to terminate the services of a probationer, any leave granted to him should not extend beyond the date on which the probationary period expires or any earlier date on which his services are terminated by the orders of the Executive Council.

c) On the other hand, a teacher appointed 'on probation' to a post, not substantively vacant to assess his suitability to the post shall until he is substantively confirmed, be treated as a temporary teacher for purposes of grant of leave.

d) If a person in the permanent service of the University is appointed on deputation to a higher post he shall not, during probation, be deprived of the benefit of leave rules applicable to his permanent post.

14. **Temporary Teacher:**

a) The teachers appointed on temporary basis in the University are entitled to the same privileges of leave and annual increments as are given to permanent teachers.

ANNEXURE - I

OFFICE OF THE REGISTRAR

MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY

MOTIHARI, DISTRICT – EAST CHAMPARAN, BIHAR

FORM OF BOND FOR STUDY LEAVE

Form of bond to be executed by the employees of the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY, MOTIHARI, DISTRICT – EAST CHAMPARAN, BIHAR on a Non-judicial stamp paper of the value of Rs.10/- (According to the Stamp Act, if the value of the Bond is Rs.1000/- then the stamp would be Rs.10/- only but if it exceeds, than a stamp of Rs.5/- per Rs.500/- in excess of Rs.1000/-).

THIS BOND is executed on the _____ day of _____ two thousand _____ by Shri/Smt./Km. _____ S/O, D/O, W/O _____ (hereinafter called 'the employee') in favour of the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY, being a Central University under an Act of Parliament (hereinafter called 'the UNIVERSITY'). Whereas the UNIVERSITY upon an application made by the Employee has granted to the Employee Study Leave for a period of _____ from _____ to _____ for the purpose of _____ in pursuance of Resolution No _____passed by the Executive Council of the UNIVERSITY in its meeting held on _____And whereas the Employee has agreed to accept the said leave on the terms, and conditions

laid down by the UNIVERSITY under ....., as applicable NOW IT IS HEREBY COVENANTED BY THE EMPLOYEE as follows:-

1. That the Employee availing himself/herself of Study Leave undertake that he/she shall serve the UNIVERSITY for a continuous period of at least three years to be calculated from the date of his/her resuming duty after expiry of the Study Leave.
2. That the employee binds himself/herself under this Bond for the due fulfilment of the conditions and give security of Immovable property to the satisfaction of the Finance Officer, or a fidelity bond of an insurance company or a guarantee of a scheduled Bank or furnish a security of two permanent teachers for the amount which shall become refundable to the University, in case of non-joining of the said employee or fails to satisfy the other imposed conditions, in facts or in law.
3. That if the Employee, who is granted Study Leave on full, half or no pay, either fails to complete his studies within the period of Study Leave or with a maximum period of 5 years or fails to rejoin the service of the MGCU on the expiry of his/her Study Leave or fails to complete the prescribed period of service after rejoining the service which he/she has covenanted to perform as Clause 1 or he/she is dismissed or removed from the service by the University within the said period, then the said employee hereby binds himself/herself, his/her heirs, executors, representatives or assigns to pay back to the University, the amount of leave salary and allowances and other expenses incurred on him/her or paid to him/her behalf to others in connection with his/her course of study or research pursuit, together with the interest or such proportion thereof as the Executive Council may fix in its discretion, from time to time.
4. Should the Employee be refused extension applied for and he/she does not rejoin duty on the expiry of his/her Study Leave originally sanctioned, he/she will be deemed to have failed to rejoin the service of the MGCU on the expiry of his/her Study Leave for the purpose of recovery of the amount payable to the University under this Bond.

In witness thereof the Employees puts his/her signature to this Bond on the day aforesaid.

_____

EMPLOYEE

Name: _____

S/o, D/o, W/o_____

RO _____ _____

In the presence of the Officer of the MGCU

In the presence of: _____

REGISTRAR

Mahatma Gandhi Central University

(Stamp)

Witnesses:

1. Name : _____

S/o, D/o, W/o _____

R/o _____

2. Name:_____

S/o, D/o, W/o _____

R/o _____

ANNEXURE - II

FORM OF SURETY BOND

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I, _____S/O, D/O, W/O _____, permanently resident of _____, presently resident of _____, employed as_____ with _____ in the present scale of _____ (hereinafter called the 'Surety') am held and firmly bound up to the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY, a Central University ESTABLISHED UNDER THE CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT 2014 acting through its Registrar in the sum of an amount calculated by the Registrar with interest as specified and all costs incurred, legal or otherwise, as also all expenses incurred by or occasioned by the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY AND I hereby voluntarily and truly bind myself, my heirs, executors, administrators and representatives firmly by these Presents putting my hand herein below on this the _____ day of _____, 20____.

WHEREAS the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY has agreed to grant/accord to _____ S/O _____ R/O_____ employed as _____ (hereinafter called the Teacher of University/Employee of the University) at his/her own request Study Leave as per Ordinance _____ of the CENTRAL UNIVERSITIES ACT 20__ vide an office order bearing no._____dated_____issued by_____.

AND WHEREAS the said Teacher of the University has undertaken vide a Bond duly executed by him/her on _____, binding himself/herself for the due fulfilment of the conditions incorporated in Ordinance _____ of the University.

AND WHEREAS in consideration of the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY having agreed to grant / accord the Study Leave to the Teacher/Employee of the University, the Surety herein has consented / agreed to execute this Bond with such conditions as are written hereunder:-

The Surety herein shall stand discharged from the obligations of this Bond if the Teacher/Employee of the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY pays all such sums (inclusive of costs, clerkages, and expenses (legal or otherwise) as calculated by the Registrar of MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY or any other Officer authorized on his behalf for any default commissioned by the said Teacher/Employee of the University in violation of the terms and conditions of the Bond executed by him/her on _____ or non-fulfillment of the requirements of Ordinance _____.

BUT SO NEVERTHELESS that if the said Teacher / Employee of the University shall die or become insolvent or any time ceases to be in the service of the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY or for any reason whatsoever, the whole or part of the Liability (as the case may be) imposed upon him/her by the

University shall remain unpaid/unsatisfied, the same shall become immediately payable and due to the MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY by the Surety herein in one installment by virtue of this Bond. The obligation undertaken by the Surety herein shall not be discharged or in any way affected by an extension of the Study Leave granted to the said Teacher / Employee of the University whether with or without the knowledge of the Surety herein.

Signed by the Surety on this the _____ day of _____, 20___.

(_____)

Signature of Surety

Designation & Seal

In the present of:

1._____

2._____

(Name and Designation of the Witnesses)

ANNEXURE - III

FORM OF SURETY BOND

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I, _____ son of _____ permanently resident of House No. _____, street name and No. _____, employed / self-employed as _____ , having Permanent Account No. _____ with the Income Tax Authorities (hereinafter called the 'Surety') am held and firmly bound up to the Central Universities Act, 2009 action through its Registrar in the sum of an amount calculated by the Registrar with interest as specified and all costs incurred, legal or otherwise, as also all expenses incurred by or occasioned by the Mahatma Gandhi Central University AND I hereby voluntarily and truly bind myself, my heirs, executors, administrators and representatives firmly by these Presents putting my hand herein below on this the _____ day of _____, 20___.

WHEREAS the Mahatma Gandhi Central University has agreed to grant/accord to _____, S/o _____, resident of _____, employed as _____ (hereinafter called the Teacher of the University/Employee of the University) at his/her own request Study Leave as per Ordinance No. 14 of the Mahatma Gandhi Central University vide an office order bearing no. _____ dated _____ issued by _____ .

And WHEREAS the said Teacher of the University has undertaken vide a bond duly executed by him/her on _____, binding himself/herself for the due fulfillment of the conditions incorporated in Ordinance No. 13 of the University.

AND WHEREAS I am the true and lawful owner of immoveable property/properties the details of which are laid out herein below:

S. NO	DESCRIPTION OF THE PROPERTY	SITUATED AT	AREAS	ESTIMATED VALUATION
1				
2				
3				

(True copies of the relevant documents of the said properties are annexed herewith for the perusal and satisfaction of the Finance Officer, MGCU)

AND WHEREAS in consideration of the Mahatma Gandhi Central University having agreed to grant/accord the Study Leave to the Teacher/Employee of the University, the Surety herein has consented/agreed to execute this Bond with such conditions as are written hereunder:-

(i) The Surety Herein shall stand discharged from the obligations of this Bond if the Teacher/Employees of the Mahatma Gandhi Central University pays all such sums (inclusive of costs, clerkages, and expenses (legal or otherwise) as calculated by the Registrar of Mahatma Gandhi Central University or any other officer authorized on his behalf for any default commissioned by the said Teacher/Employee of the University in violation of the terms and conditions of the Bond executed by him/her on _____ or non-fulfillment of the requirements of Ordinance _____ .

(ii) BUT SO NEVERTHELESS that if the said Teacher / Employees of the University shall die or become insolvent or any time ceases to be in the service of the Mahatma Gandhi Central University or for any reason whatsoever, the whole or part of the liability (as the case may be) imposed upon him/her by the University shall remain unpaid/unsatisfied, the same shall become immediately payable and due to the Mahatma Gandhi Central University by the Surety herein in one installment by virtue of this Bond.

(iii) The obligation undertaken by the Surety herein shall not be discharged or in any way affected by an extension of the Study Leave granted to the said Teacher / Employee of the University whether with or without the knowledge of the Surety herein.

Signed by the Surety on this the _____ day of _____ 20___.

(_____)

Signature of Surety

Designation & Seal

IN THE PRESENCE OF:

_____

_____

(Name and Designation of the Witness)

(Affidavit of the Surety)

AFFIDAVIT

I, _____son of _____, resident of _____, do hereby solemnly affirm and declare as under:

That I am the true and lawful owner of the following immoveable property / properties:

S. NO	DESCRIPTION OF THE PROPERTY	SITUATED AT	AREAS	ESTIMATED VALUATION
1				
2				
3				

I affirm on oath that the said properties have not been sold, transferred, or assigned in favour of anyone whomsoever and command a good marketable title.

That I have stood surety binding myself to Mahatma Gandhi Central University vide a Surety Bond dated _____ and I affirm that I shall not in any way transfer / assign or part with the said properties till my Surety is duly discharged by the said University.

(DEPONENT)

VERIFICATION:

Verified at Motihari on this the _____ day of _____, 20___ that the contents of my above Affidavit are true and correct, no part thereof is false and nothing material has been concealed there from.

(DEPONENT)